

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल,दिनांक:- 19/09/2022

क्रमांक 3797 /टीसी/49/रीवा/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रीवा विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	रीवा तह. हुजूर नगर जिला रीवा	58	1.433	0.852	वर्तमान आवासीय, वर्तमान वाणिज्यिक, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
		464	0.607	0.169	वर्तमान आवासीय, 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग तथा नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण	वाणिज्यिक, 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग तथा नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण
		465	0.077	0.077	वर्तमान आवासीय एवं नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण	वाणिज्यिक एवं नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण
2.	चिरहुला तह. हुजूर नगर जिला रीवा	6	3.257	1.477	वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, 30.00 मीटर तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक, 30.00 मीटर तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग

नोट:-

- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

my

उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर विचार किया जाएगा।


(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

 म.प्र. भोपाल